प्रेषक,

डॉ0 सत्य प्रकाश तिवारी,
अनु सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
नागरिक उड्डयन
उ0प्र0 लखनऊ

नागरिक उड्डयन अनुभाग लखनऊ : दिनांक : 13 अगस्त, 2019

विषय: राजकीय हेलीकाप्टर बेल 412 ईपी वीटी-यू0पी0ओ0 पर स्थापित 15 कम्पोनेन्ट्स पर 2500 उड़ान घण्टे पूर्ण होने पर ओवरहॉल अथवा इन्स्पेक्शन कार्यों को सम्पादित कराए जाने हेतु पुनरीक्षित वित्तीय स्वीकृति।

महोदय

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या- 243/ना0उ0नि0/इंजी/बी-2/2019 (पी), दिनांक 16 जुलाई, 2019 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- राजकीय हेलीकाप्टर बेल 412 ईपी वीटी-यू0पी0ओ0 पर स्थापित 17 कम्पोनेन्ट्स पर 2500 उड़ान घण्टे पूर्ण होने पर ओवरहॉल अथवा इन्स्पेक्शन कार्यों को सम्पादित कराए जाने हेतु शासनादेश संख्या-112/2018/1927/छप्पन-2018-153/2000 दिनांक 20 नवम्बर, 2018 द्वारा रू0 26,97,750/- (रूपए छब्बीस लाख सत्तानवे हजार सात सौ पचास मात्र) की मूल प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति एवं अग्रिम आहरण की स्वीकृति निर्गत की गई है । इस निर्गत वित्तीय स्वीकृति के क्रम में मेसर्स एबल एयरोस्पेस सर्विसेज, यू0एस0ए0 द्वारा 15 कम्पोनेन्ट्स रिपेयर/ ओवरहॉल के निमित्त उपलब्ध कराए गए नए बजटरी इस्टीमेट कोट रूपए 1,47,78,466/- तथा अनुषांगिक व्यय के रूप में मेसर्स ओरियन्टल कम्पनी लिमिटेड, लखनऊ से ट्रांजिट बीमा कराए जाने हेतु रूपए 37,980/- तथा मेसर्स सी0जी0 लॉजिस्टिक प्रा0लि0, नई दिल्ली से 15 कम्पोनेन्ट्स के आयात हेतु कस्टम ड्यूटी/जी0एस0टी0/इम्पोर्ट फ्रीट पर होने वाले व्यय रूपए 10,64,724/- को सम्मिलित करते हुए उपर्युक्त सन्दर्भित शासनादेश दिनांक 20 नवम्बर, 2018 द्वारा अवमुक्त धनराशि 26,97,750/- को घटाते हुए रूपए 1,31,83,420/- की पुनरीक्षित वित्तीय स्वीकृति शासनादेश संख्या- 37/2019/582/छप्पन-2019-153/2000 दिनांक 22 मार्च, 2019 द्वारा प्रदान की गई। इस प्रकार राजकीय हेलीकाप्टर बेल 412 ईपी वीटी-यू0पी0ओ0 पर स्थापित 15 कम्पोनेन्ट्स पर 2500 उड़ान घण्टे पूर्ण होने पर ओवरहॉल अथवा इन्स्पेक्शन कार्यों को सम्पादित कराए जाने हेतु कुल रूपए 1,58,81,170/- (रूपए एक करोड़ अट्ठावन लाख इक्यासी हजार एक सौ सत्तर मात्र) की पुनरीक्षित प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति तथा अग्रिम आहरण की स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है।

3- उक्त सन्दर्भित पत्र दिनांक 16 जुलाई, 2019 में प्रस्ताव किया गया है कि राजकीय हेलीकाप्टर बेल 412 ईपी वीटी-यू0पी0ओ0 पर स्थापित 15 कम्पोनेन्ट्स पर 2500 उड़ान घण्टे पूर्ण होने पर ओवरहॉल अथवा इन्स्पेक्शन कार्यों को सम्पादित कराए जाने हेतु अनुषांगिक व्यय के रूप में मेसर्स

2/--

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

सी0जी0 लॉजिस्टिक प्रा0लि0, नई दिल्ली से 15 कम्पोनेन्ट्स के आयात हेतु कस्टम ड्यूटी/ जी0एस0टी0/इम्पोर्ट फ्रीट पर कुल रू0 26,99,052/- (रूपए छब्बीस लाख निन्यानबे हजार बावन मात्र) की धनराशि व्यय की गई है। अत: मेसर्स सी0जी0 लॉजिस्टिक प्रा0लि0, नई दिल्ली को 15 कम्पोनेन्ट्स के आयात हेतु कस्टम ड्यूटी/जी0एस0टी0/इम्पोर्ट फ्रीट हेतु स्वीकृत धनराशि रूपए 10,64,724/- को समायोजित करते हुए अवशेष धनराशि रू0 16,34,328/- (रूपए सोलह लाख चौंतीस हजार तीन सौ अट्ठाइस मात्र) की अतिरिक्त धनराशि व्यय हेतु अवमुक्त की जानी है। अत: श्री राज्यपाल राजकीय हेलीकाप्टर बेल 412 ईपी वीटी-यू0पी0ओ0 पर स्थापित 15 कम्पोनेन्ट्स पर 2500 उड़ान घण्टे पूर्ण होने पर ओवरहॉल अथवा इन्स्पेक्शन कार्यों को सम्पादित कराए जाने हेतु कुल रूपए 1,75,15,498/- (रूपए एक करोड़ पचहत्तर लाख पन्द्रह हजार चार सौ अट्ठानबे मात्र) की पुनरीक्षित प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के साथ शासनादेश संख्या-37/2019/582/छप्पन-2019-153/2000 दिनांक 22 मार्च, 2019 द्वारा अवमुक्त धनराशि रू0 1,58,81,170/- को समायोजित करते हुए अवशेष अतिरिक्त धनराशि रू0 16,34,328/- (रूपए सोलह लाख चौंतीस हजार तीन सौ अट्ठाइस मात्र) के व्यय/अवमुक्त किए जाने की स्वीकृति प्रदान करते हैं।

4- उक्त सन्दर्भित शासनादेश संख्या-37/2019/582/छप्पन-2019-153/2000 दिनांक 22 मार्च, 2019 में उल्लिखित शर्तें एवं प्रतिबन्ध यथावत् लागू रहेंगे।

5- उपर्युक्त मद पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-38 के अधीन पूँजीगत लेखा लेखाशीर्षक - 5053-नागर विमानन पर पूँजीगत परिव्यय-80-सामान्य-800-अन्य व्यय-04-हेलीकाप्टर/वायुयान की विशेष मरम्मत-42-अन्य व्यय के नामे डाला जायेगा।

6- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-संख्या-1/2019/बी-1-170/दस -2019-231/2019 दिनांक 22 मार्च, 2019 में विहित व्यवस्था के अन्तर्गत जारी किये जा रहे है।

भवदीय,

डॉ0 सत्य प्रकाश तिवारी
अनु सचिव

संख्या: 69/2019/1437(1)/छप्पन-2019-तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

(1) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)-प्रथम, उ0प्र0, प्रयागराज।
(2) उप महालेखाकार/ई0एस0-III, आडिट भवन, टीसी-35-वी-1, विभूति खण्ड, गोमती नगर लखनऊ-10
(3) मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
(4) वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7
(5) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
डॉ0 सत्य प्रकाश तिवारी
अनु सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in